



कृषि निदेशक
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार

प्रति बूँद – अधिक फसल(आरकेवीवाई-पीडीएमसी) योजना के तहत आवेदन

क. किसान का पंजीकरण

1. कृषक का नाम
2. पिता का नाम/पति का नाम
3. लिंग : ☐ पुरुष ☐ स्त्री ☐ अन्य
04. जाति : ☐ समान्य जाति ☐ पिछड़ी जाति ☐ अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति
05. जन्म तिथि :
06. आधार संख्या:
07. मोबाईल संख्या:

किसान का फोटो

पता

प्रमंडल:

जिला का नाम:

ब्लॉक :

पंचायत:

ग्राम:

मकान न:

भूमि का विवरण :

खाता/खेसरा संख्या :

रकबा(हेक्टेयर में):

ख आवेदन:

पंजीकरण प्रक्रिया प्राप्त आईडी संख्या:

पहले कृषि अनुदान लिए हैं: ☐ हाँ ☐ नहीं

फसल त्रेणी: ☐ कृषि ☐ उधान

प्रस्तावित फसल योजना:

सूक्ष्म सिंचाई परियोजना : ☐ ड्रिप ☐ स्प्रिंकलर

आपूर्तिकर्ता का चयन:

उपकरण द्वारा कवर किया जाने वाला क्षेत्र(हेक्टेयर):

मुखिया/वार्ड पंचायत / जिला परिषद से अनुशंसा प्रत्र प्राप्त किया गया है: ☐ हाँ ☐ नहीं

जल का स्रोत :

सिंचाई जल की गुणवत्ता:

ऊर्जा का स्रोत:

मिट्टी का प्रकार:

मिट्टी की गुणवत्ता:

पंप चलाने के लिए बिजली की दैनिक उपलब्धता(घंटे में):

मोटर का पावर:

बैंकिंग विवरण:

बैंक का नाम:

शाखा का नाम:

खाता संख्या:

आई.एफ.एस.सी.कोड:

ग.आवश्यक दस्तावेज:

01. किसान का फोटो
02. आधार का कॉपी
03. लाभार्थी की भूमि रसीद स्वप्रमाणित प्रति
04. वंशावली — मुखिया, वार्ड पंचायत, जिला परिषद द्वारा सत्यापित
05. अनुशंसा — प्रत्र(मुखिया, वार्ड पंचायत, जिला परिषद)
06. घोषणा के साथ आवेदन की स्वप्रमाणित भौतिक प्रपत्र

शपथ-पत्र : मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मैं उपर्युक्त बिन्दुओं को पढ़कर सुनिश्चित कर लिया हूँ/है कि मैं उपर्युक्त शर्तों का पालन करता/करती हूँ/है । मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है। विवरण गलत अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन रद्द होने की जिम्मेवारी मेरी होगी।

मुझसे अनुदान राशि वसूल की जा सकती है तथा मेरे ऊपर दण्डात्मक कारवाई की जा सकती है। मैं अपना आधार नंबर एवं अन्य सुचनायें इस योजना में पात्रता के सत्यापन हेतु उपयोग की अनुमति देता/देती हूँ।

☐ मुझे सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

शपथ – पत्र

मैं पिता/पुत्री/पत्नी.....

ग्राम पंचायत प्रखण्ड

थाना जिला घोषणा करता/करती हूँ कि मूल

निवासी हूँ तथा मेरा जमीन का खाता संख्या में कुल रकबा.....

एकड़ जो खतियान में के नाम से दर्ज है।

यह है कि उपरोक्त जमीन बंटवारा में प्लॉट संख्याजिसका कुल रकबा.....

एकड़ आवेदक के हिस्से में आता है एवं मैं अपने हिस्से की जमीन में शांतिपूर्वक दखलकार हूँ।

यह मेरा पारिवारिक वंशावली निम्न है:—

यह है कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के लेने हेतु शपथ कर रहा हूँ।

यह कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य हैं।

किसान का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं यह सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य सही हैं जिसे सही पाकर अपना हस्ताक्षर/अंगुठा का निशान बनाया/बनायीं है।

किसान का हस्ताक्षर

पंचायती राज से अनुशंसा पत्र

मैं.....पिता / पुत्री / पत्नी.....

ग्राम पंचायत

प्रखंड जिला घोषणा करता हूँ की
मूल निवासी हूँ।

यह कि सूक्ष्म सिंचाई योजना परियोजना के ड्रिप स्प्रिंकलर प्रणाली के लिए उपरोक्त तथ्य मेरी
जानकारी में सत्य है।

किसान का हस्ताक्षर

मैं..... यह सत्यापित करता / करती हूँ कि सत्यापन पत्र के साथ वर्णित
सभी तथ्य सही है जिसे मैं सही लिखा पाकर अपना हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान बनाया / बनायी
हूँ।

पंचायती राज सदस्य का हस्ताक्षर

अनुरोध – पत्र

सेवा में

जिला कृषि पदाधिकारी

.....

विषय :- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RVKY-PDMC) अंतर्गत अनुदान की राशि कम्पनी को देने के सम्बंध में।

महोदय, मैं पिता/पति गाँव.....

पंचयात प्रखंड जिला.....

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए अनुबंधित प्रणाली

प्रदाता

से क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया।

प्रणाली:- मिनी स्प्रिंकलर/ ड्रिप प्रणाली

मैं कृषक राशि देने में समर्थ हूँ परंतु कुल लागत देने से असमर्थ हूँ। अतः आप से अनुरोध है अनुदान राशि प्रणाली प्रदाता को सीधे भुगतान कर दी जाए।

दिनांक :-

किसान का हस्ताक्षर

संतुष्टी-पत्र

मैं.....पिता/पुत्री/पत्नी.....

ग्राम पंचयात

प्रखंड जिला घोषणा करता हूँ कि मैं कृषि विभाग से मिनी स्प्रिंकलर/ ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए अनुदान प्राप्त नहीं किया है। यह जो मिनी स्प्रिंकलर/ ड्रिप सिंचाई प्रणाली मैं अपने जमीन पर 90 प्रतिशत अनुदान पर के द्वारा अधिष्ठापित करवाया है। इसकी भविष्य में सुरक्षा खुद करूंगा और प्रणाली को कभी नहीं बेचूंगा।

मैंमेसर्ससे प्राकलन के अनुसार मिनी स्प्रिंकलर/ ड्रिप सिंचाई प्रणाली का अधिष्ठापन के बाद चलता हुआ प्राप्त किया है। मुझे निर्माता कम्पनी द्वारा मार्गदर्शिका दे दी गई है। सिंचाई प्रणाली को चलाकर दिखाया गया और चलाने तथा रख रखाव की विधि बताई गई है तथा तीन वर्ष तक निशुल्क सर्विस के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई।

अतः जिससे मैं इस प्रणाली से पूर्णरूप से संतुष्ट है।

मेसर्स:-

किसान का हस्ताक्षर